

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली)
(संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् दिनांक 7 जनवरी 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 जनवरी, 1972 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 जनवरी, 1972 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अतिरिक्त संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में धारा 17 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बहा दी जाय, अर्थात्—

“(5) (क) पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि फैक्टरी का स्वामी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसका फैक्टरी के कार्यकलापों पर नियंत्रण हो अथवा तदर्थ सक्षम कोई अन्य व्यक्ति किसी बैंक के साथ कोई ऐसा अनुबंध करे जिसके अन्तर्गत बैंक उस फैक्टरी में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली गन्ने की प्रतिभूति पर अग्रिम धनराशि देने के लिये सहमत हो, तो उक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति उस अनुबंध में यह व्यवस्था करेगा कि ऐसे अग्रिम की कुल धनराशि का

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 24
1953 ई० की
धारा 17 का
संशोधन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 5 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

एक नियत प्रतिशत अलग रख दिया जायेगा और वह केवल गन्ना उत्पादकों अथवा उत्पन्न सहकारी समितियों को फैंक्ट्री के लिये चालू पेरार्ई के मौसम में उन गन्ना उत्पादकों से उनकी सहकारी समितियों से अथवा उनके माध्यम से क्रय किये गये अथवा क्रय जाने वाले गन्ने के मूल्य और उस पर ब्याज और उसके सम्बन्ध में ऐसी समितियों के कमीशन के प्रतिदान के लिये उपलब्ध रहेगा ।

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति प्रत्येक ऐसे अनुबन्ध की प्रति उस दिनांक से जब वह किया जाय, एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर को भेजेगा ।”

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
9, 1961 की
धारा 2 का
संशोधन

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

“(ग) ‘इकाई’ या ‘गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई’ का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने अथवा उसके उत्पादन में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो और जो यंत्र-शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो;”

धारा 3 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (5) में—

(1) शब्द “शक्कर उप-आयुक्त” के स्थान पर शब्द “सहायक शक्कर आयुक्त” रख दिया जाय;

(2) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द “प्रतिबन्ध यह है कि” के पश्चात् शब्द “धारा 3-क के अनुसार वसूल होने योग्य कर की दशा को छोड़कर” रख दिये जायें ।

(3) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

“अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी इकाई के स्वामी द्वारा अपील किये जाने की दशा में, शक्कर आयुक्त किसी ऐसी अपील को, जो उसके पास विचारणीय हो, किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रमित कर सकता है, और किसी ऐसी अपील को वापस भी ले सकता है और उसका निस्तारण या तो स्वयं करेगा अथवा उसे किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रमित कर सकता है ।”

नयी धारा 3-क
का घटाया जाना
और वर्तमान धारा
3-क को 3-कक
के रूप में पुनः
संख्यांकन

5—मूल अधिनियम की धारा 3-क की संख्या बदलकर 3-कक कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 3-कक के पहले निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

“3-क(1)—किसी फैंक्टरी का कोई स्वामी दिनांक 1 अक्टूबर, 1971 को अथवा उसके पश्चात् जिसे आगे ‘उक्त दिनांक’ कहा गया है फैंक्टरी में उत्पादित किसी शक्कर को, उपभोग के लिए अथवा बिक्री के लिए, या फैंक्टरी के भीतर अथवा उसके बाहर का भुगतान कोई अन्य पदार्थ निर्मित करने के लिए तब तक न हटायेगा और न उसे हटवायेगा जब तक कि उसने धारा 3 के अधीन लगाये गये कर का, जो, यथास्थिति, उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट धनराशि होगी, भुगतान न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी शक्कर ऐसी किसी धनराशि का भुगतान किये बिना कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी गोदाम अथवा अन्य संग्रह स्थान में जमा की जा सकती है, और जहाँ पर वह इस प्रकार जमा की जाय वहाँ से वह तब तक न हटायी जायगी जब तक कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे फैंक्ट्री में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली शक्कर की प्रतिभूति पर फैंक्ट्री के स्वामी को दी गई किसी अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में, उस शक्कर की, किसी बैंक के पण्यमय के रूप में अपने अधिकारों के प्रयोग में, उसके अनुप्रेरण पर बिक्री की दायिता पर कोई प्रभाव पड़ता है ।

(2) प्रत्येक पेरार्ई के मौसम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् यथाशीघ्र (और उक्त दिनांक को प्रारम्भ होने वाले पेरार्ई के मौसम की दशा में इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र) कर निर्धारण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रसिद्ध शक्कर के लिए देय अस्थायी दर को पूर्ववर्ती पेरार्ई के ऐसे मौसम के दौरान, जिसने फैंक्टरी में उत्पादन हुआ हो, फैंक्टरी के लिए क्रय किये गये गन्ने की मात्रा को फैंक्टरी में उत्पादित शक्कर से सहसम्बद्ध करक निकालेगा और निर्दिष्ट करेगा ।

पट्टीकरण 1:—यदि किसी ऐसी पूर्ववर्ती पेटाई के मौसम के केवल किसी एक भाग में ही फैक्टरी में उत्पादन हुआ हो, तो पेटाई के मौसम के उतने ही भाग पर विचार किया जाना पर्याप्त होगा जिसके दौरान फैक्टरी में वस्तुतः उत्पादन किया गया।

पट्टीकरण 2:—यदि फैक्टरी ने उस पेटाई को मौसम के पूर्व, जिसके लिए अस्थायी कर निर्धारण किया जाय, उत्पादन प्रारम्भ न किया हो, तो कर-निर्धारण प्राधिकारी उसी क्षेत्र को अन्य फैक्टरियों से, यदि कोई हो, सम्बन्धित तुलनीय आधार-सामग्री अथवा किसी अन्य संगत कारण के आधार पर प्रति बोरी शक्कर के भुगतान की अस्थायी दर निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) पेटाई के मौसम के अन्त में कर-निर्धारण प्राधिकारी, चालू पेटाई के मौसम के दौरान फैक्टरी के लिए क्रय किये गये गन्ने की मात्रा और फैक्टरी में उत्पादित शक्कर को भण्डान में रखकर शक्कर की प्रति बोरी के भुगतान के लिए पुनरीक्षित दर निकाल कर उसे निर्दिष्ट करेगा, और यदि ऐसे पुनरीक्षण पर दर घट या बढ़ जाय तो, यथास्थिति, अधिक या कम भुगतान की गयी धनराशि उक्त शक्कर के शेष स्टॉक पर लगायी जायगी और शक्कर की प्रत्येक ऐसी बोरी को हटाने के पूर्व दी जाने वाली धनराशि तदनुसार पुनः निश्चित की जायगी, और यदि स्टॉक में ऐसी शक्कर न रहे तो स्वामी, यथास्थिति, धनराशि की वापसी करने का हकदार होगा अथवा शेष धनराशि का भुगतान करेगा।

(4) यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि उक्त शक्कर के स्टॉक का कोई भाग हटा दिया गया है अथवा किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं है, और इस धारा के अधीन ऐसे भाग के प्रति देय कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो कर-निर्धारण प्राधिकारी यह निदेश दे सकता है कि ऐसी कमी को उस सम्बन्ध के स्टॉक की शक्कर पर लगा कर बसूल किया जायगा।

(5) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् क्रय किये गये गन्ने के विषय में धारा 3 के अधीन आरोपित कर के सम्बन्ध में:—

(क) धारा 3 की उपधारायें (2) तथा (3) लागू नहीं होंगी तथा कर गन्ने के क्रय के दिनांक को अथवा इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक को जो भी पश्चात्पूर्वी हो, देय समझा जायगा;

(ख) उस धारा की उपधारा (4) इस परिष्कार के साथ लागू होगी कि जहाँ कर-निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि फैक्टरी के स्वामी ने इस धारा का उल्लंघन करके शक्कर को हटाया या हटवाया है अथवा फैक्टरी में उत्पादित या उपधारा (1) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन उसके द्वारा जमा की हुई शक्कर का पूर्ण लेखा देने में असफल रहा है, तो कर का देनदार व्यक्ति हटाई गई या हटवाई गई अथवा लेखाविरत शक्कर की मात्रा के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि के अतिरिक्त इस प्रकार देय धनराशि के एक सौ प्रतिशत से अनधिक अग्रतर धनराशि का शास्ति के रूप में देनदार होगा;

(ग) इस धारा के उपबन्ध उस धारा के (उपर्युक्त परिष्कृत) उपधारा (4) तथा उपधारा (6), (7), (8), तथा (9) के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेगा; तथापि उस धारा की उपधारा (8) के अधीन प्रमाण-पत्र ऐसे आपवादिक एवं पर्याप्त कारणों के सिवाय जो अभिलिखित किये जायेंगे तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि उस उपधारा में अभिदिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी की राय में खण्ड (ख) में अभिदिष्ट कोई परिस्थिति विद्यमान है;

(घ) धारा (7) के उपबन्ध उसमें शक्कर आयुक्त के अभिदेशों के स्थान पर कर-निर्धारण प्राधिकारी के अभिदेशों को प्रतिस्थापित करते हुए लागू होंगे।”

6—मूल अधिनियम की धारा 3-ख में, शब्द “शक्कर उप आयुक्त” के स्थान पर शब्द “सहायक शक्कर आयुक्त” रख दिया जाय।

7—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3-क) में शब्द “शक्कर उप आयुक्त” के स्थान पर शब्द “सहायक शक्कर आयुक्त” रख दिये जायें।

8—मूल अधिनियम की धारा 8 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द “प्रतिबन्ध यह है कि” के पश्चात् शब्द “धारा 3-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी मात्रा में शक्कर हटाने अथवा हटवाने के लिये या” बढ़ा दिये जायें।

धारा 3-ख का संशोधन

धारा 4 का संशोधन

धारा 8 का संशोधन

धारा 15 का
संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में—

(1) खण्ड (ड) में सेमीकोलन के पश्चात् आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय;

(2) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

"(च) फैक्टरी में या किसी अन्य संगठ् स्थान पर शक्कर की बोरियों का संग्रहण और वहां से ऐसी बोरियों का हटाना ;

(छ) धारा 3-क के अधीन प्रति बोरी शक्कर के लिये देय कर की घनराशि की गणना करने और देय कर के लिए इस प्रकार दी गयी घनराशि का समायोजन करने की रीति ;

(ज) कोई अन्य विषय जिसके लिये धारा 3-क में वर्तमान उपबन्ध अपर्याप्त हों और उस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उपबन्ध आवश्यक समझे जायें; और," तथा

(3) वर्तमान खंड (च) को पुनाक्षरित खण्ड (झ) कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश सं० 20,
1971 का निरसन

10—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE AND RECOVERY OF PURCHASE TAX) (AMENDMENT) ACT, 1972.

(U. P. ACT No. 2 OF 1972)

Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Vinnyaman Aur Kraya Kar Ki Wasooli) (Saushodhan) Adhiniyam, 1972]*

AN
ACT

to amend the U. P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 and the U. P. Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase and Recovery of Purchase Tax) (Amendment) Act, 1972. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of December, 1971.

2. In the U. P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, Amendment of section 17 of U. P. Act no. XXIV of 1953. section 17, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely :

"(5) (a) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, where the owner or any other person having control over the affairs of the factory or any other person competent in that behalf enters into an agreement with a bank under which the bank agrees to give advance to him on the security of sugar produced or to be produced in the factory, the said owner or other person shall provide in such agree-

*[For Statement of Object and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated January 5, 1972.]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 4, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 7, 1972.]

[Received the Assent of the Governor on January 16, 1972, under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated January 18, 1972.]

ment that a prescribed percentage of the total amount of advance shall be set apart and be available only for repayment to cane-growers or their co-operative societies on account of the price of sugarcane purchased or to be purchased for the factory during the current crushing session from those cane-growers or from or through those societies, and interest thereon and, such societies commission in respect thereof.

(b) Every such owner or other person as aforesaid shall send a copy of every such agreement to the Collector within a week from the date on which it is entered into."

Amendment of Section 2 of U.P. Act no. IX of 1961. 3. In section 2 of the U. P. Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961. herein after referred to as the principal Act, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :

(c) "unit" or "gur, rab or khandsari sugar manufacturing unit" means a unit engaged or ordinarily engaged in the manufacture or production of gur, rab or khandsari sugar and which is capable of handling sugarcane juice produced with the aid of a crusher driven by any mechanical power ;".

Amendment of section 3. 4. In section 3 of the principal Act, in sub-section (5),—

(i) for the words "Deputy Sugar Commissioner", the words "Assistant Sugar Commissioner" shall be substituted ;

(ii) in the proviso thereto, after the words "Provided that" the words "except in the case of tax recoverable in accordance with section 3-A" shall be inserted ;

(iii) after the proviso thereto, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in the case of an appeal by the owner of a unit, the Sugar Commissioner may transfer any appeal pending before him to any other appellate authority, and may also withdraw any such appeal and either dispose of the same himself or transfer it to any other appellate authority."

Insertion of new section 3-A and renumbering of existing section 3-A as 3-AA. 5. Section 3-A of the principal Act shall be re-numbered as section 3-AA, and before section 3-AA as so re-numbered, the following sections shall be inserted, namely :

"3-A. (1) No owner of a factory shall remove, or cause to be removed any sugar produced in the factory on or after the first day of October, 1971, hereinafter referred to as the said date, either for consumption or for sale, or for manufacture of any other commodity in or outside the factory, until he has paid towards the tax levied under section 3 a sum specified under sub-section (2), sub-section (3) or sub-section (4), as the case may be :

Provided that such sugar may be deposited without payment of any such sum in a godown or other place of storage approved by the assessing authority and where it is so deposited it shall not be removed therefrom until the sum as aforesaid has been paid :

Provided further that nothing in this sub-section shall be construed to affect the liability of such sugar to sale at the instance of any bank in exercise of its rights as pawnee in respect of any advance made to the owner of the factory on the security of sugar produced or to be produced in the factory.

(2) Before the beginning of each crushing season or so soon thereafter as may be (and in the case of the crushing season beginning on the said date, so soon as may be after the commencement of this section), the assessing authority shall work out and specify the provisional rate of payment to be made per bag of sugar under sub-section (1), by correlating the quantity of sugarcane purchased for the factory to the sugar produced in the factory during the last preceding crushing season in which the factory was under production.

Explanation I—If the factory was under production during only a part of any such previous crushing season, it shall be sufficient to take into consideration that part of the crushing season during which the factory was actually under production.

Explanation II—If the factory had not commenced production before the crushing season for which the provisional assessment is made, then the assessing authority may specify the provisional rate of payment per bag of sugar on the basis of comparable data relating to other factories, if any, in the same region or of any other relevant factor.

(3) At the end of the crushing season the assessing authority shall work out and specify a revised rate of payment per bag of sugar by taking into account the quantity of sugarcane purchased for the factory and the sugar produced in the factory during the current crushing season, and where the rate is reduced or increased on such revision, the excess paid or the shortfall, as the case may be, shall be spread over the remaining stocks of the said sugar, and the amount to be paid before removal of each such remaining bag of sugar be refixed accordingly, and if no such sugar remains in stock then the owner shall be entitled to a refund or pay the balance, as the case may be.

(4) If at any time it appears to the assessing authority that a part of the stocks of the said sugar has been removed, or is for any other reason no longer available, and the payment towards tax due against such part under this section has not been made, the assessing authority may direct the shortfall to be recovered by spreading it over the sugar in stock at that time.

(5) In relation to the tax levied under section 3 in respect of purchase of sugarcane on or after the said date,—

(a) sub-sections (2) and (3) of section 3, shall not apply, and the tax shall be deemed due on the date of purchase of sugarcane or the date of commencement of this section, whichever is later ;

(b) sub-section (4) of that section shall apply with the modification that where the assessing authority is satisfied that the owner of a factory has removed or caused to be removed any sugar in contravention of the provisions of this section or has failed to account fully for the sugar produced in the factory or deposited by him under the first proviso to sub-section (1), the person liable to pay the tax shall in addition to the amount payable under sub-section (1) in respect of the quantity of sugar so removed or caused to be removed or unaccounted for, be also liable to pay by way of penalty a further sum not exceeding one hundred per cent of the sum so payable :

(c) the provisions of this section shall be in addition to and not in derogation of the provisions of sub-section (4) (modified as aforesaid) and sub-sections (6), (7), (8) and (9) of that section, so, however, that a certificate under sub-section (8) of that section shall not, save for exceptional and adequate reasons to be recorded, be issued, unless the officer or authority referred to in that sub-section is of opinion that any circumstance referred to in clause (b) exists ;

(d) the provisions of section 7 shall apply with the substitution of references therein to the Sugar Commissioner by references to the assessing authority."

6. In section 3-B of the principal Act, for the words "Deputy Sugar Commissioner", the words "Assistant Sugar Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 3-B.

7. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3-a), for the words "Deputy Sugar Commissioner", the words "Assistant Sugar Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 4.

8. In section 8 of the principal Act, in the proviso thereto, after the words "convicting a person under this section", the words "for removing or causing to be removed any sugar in contravention of the provisions of section 3-A or" shall be inserted. Amendment of section 8.

Amendment of
section 15.

9. In section 15 of the principal Act, in sub-section (2) —

(i) in clause (e), the word "and" occurring after the semi-colon shall be omitted ;

(ii) after clause (c) the following clauses shall be inserted namely:

"(f) the storage of sugar bags in the factory or any other place of storage and the removal of such bags therefrom ;

(g) the manner of calculating the amount per bag of sugar payable towards tax under section 3-A and of adjusting the amount paid towards the tax due ;

(h) any other matter for which insufficient provision exists in section 3-A and provision is considered necessary for carrying out the purposes of that section" ; and

(iii) the existing clause (f) shall be re-lettered as clause (i).

Repeal of U. P.
Ordinance no. 20
of 1971.

10. The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase and Recovery of Purchase Tax) (Amendment) Ordinance, 1971, is hereby repealed.